न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 4/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 7.1.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

जुगल किशोर कश्यप आत्मज नाथूलाल निवासी आशियाना कॉलोनी तेखडा रोड बोरखेडा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. नगर विकास न्यास , जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शंम्भूदयाल विजय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 8.9.2021

अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश कमांक प.15(118) राजस्व–III/2012/3725–3731 दिनांक 16.7.2012 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर कोटा द्वारा आदेश कमांक प. 15(118) राजस्व–III/2012/3725–3731 दिनांक 16.7.2012 से विवादित आराजी ग्राम तेखडा तहसील लाडपुरा के खसरा खसरा नम्बर 408 की 0.90 हैक्टर आराजी राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102 (ए) के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर विकास न्यास कोटा को आवंटित करने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि विवादित आराजी सिवायचक थी उक्त आराजी मे से 0.48 है0 आराजी अपीलांट के पिता नाथूलाल के करीब 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जे काश्त मे तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है तथा जुर्माना भी जमा करता आ रहा है। परन्तु जिला कलक्टर कोटा के द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आराजी आबादी विस्तार हेतु रेस्पो0 कम–1 को आवंटित करदी जो अवैधानिक है। विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता का तथा उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट का काफी पुराना कब्जा होने के कारण विवादित आराजी राज्य सरकार के विभिन्न नियमों के तहत अपीलांट नियमित कराने के अधिकारी थे, नगर विकास न्यास को आबादी विस्तार हेतु उक्त आराजी की कोई आवश्यकता नही होने के उपरांत भी जिला कलक्टर कोटा द्वारा उनको आवंटित करदी गई जो अवैधानिक है। उक्त आराजी अपीलांट की जीविका का एकमात्र साधन है तथा आराजी नियमितिकरण बावत जिला कलक्टर कोटा को कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये परन्तु कोई सुनवाई नही हुई ना ही नगर विकास न्यास द्वारा कोई सुनवाई की गई। अपीलांट उक्त आराजी को नियमितिकरण कराने की पात्रता रखता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी के मामले मे जिला कलक्टर कोटा का आदेश दिनांक 16.7.2012 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील अपोलांट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी के मामले मे जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 16.7.2012 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 श्री शंभूदयाल विजय ने बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के कब्जे के संबध मे घोषणा का वाद पेश नही किया है तथा ना ही विवादित आराजी के नियमन से सबधित आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतियां ही पेश की है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपील मिमो मे उल्लेखित उक्त तथ्यों की पुष्टि होती हो। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा अपील, प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की जो मियाद बाहर है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे अपीलांट द्वारा वर्णित किया गया है कि ग्राम तेखडा की आराजी खं0 नं0 0.40 है0 पर अपीलांट के पिता का करीब 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा था तथा जुर्माना जमा करता रहे उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील आदेश दिनांक 16.7.2012 अपीलांट को सुने बिना पारित किया गया है जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होने से अपीलांट प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति चाहने के साथ प्रा0 पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस मे अपीलांट के उक्त तर्क का खण्डन करते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी राजकीय भूमि होने से कानूनन किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। भूमि पर कब्जे के संबध मे अपीलार्थी द्वारा घोषणा का वाद पेश नही किया है तथा ना ही विवादित आराजी के नियमितिकरण के संबध मे आवेदन पत्र ही पेश किये है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे भी ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित उक्त तथ्यों की पुष्टि होती हो। अतः समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि होने तथा वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट के हित प्रभावित नही होने से प्रकरण मे वह प्रभावित पक्षकार नही है लिहाजा प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाकर तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6 हमने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन कर बहस विद्वान उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर कानूनन किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/दस्तावेज भी उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमितिकरण हेतु आवेदन किया जाना प्रकट करते हो अथवा आराजी के संबध मे सक्षम न्यायालय मे घोषणा का वाद पेश किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट के हित प्रभावित नही होने से वह प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय (मेन्टेनेएबल) नही होने अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा